न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 09 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

टिक्का सिह पुत्र रूप सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया हाल आबाद मॉडल टाउन अबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)

— वादी

बनाम

1 बलविन्द्र सिह पुत्र रूप सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2 बलजीत कौर पुत्री रूप सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी
2— श्री गुरमीत सिह कलसी— वकील प्रति सं. 1, 2
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया— राज—पैरोकार प्रति.संख्या 3

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण व प्रति स. 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।जो कि मृतक रूप सिह के वारिसान है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। चक 12 एस.बी.एन. खाता स. 37 / 22 खाता अजमेर सिह वगैरा ज.स. 2073—76 में वादी व प्रति स. 1 व 2 के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी टिक्का सिह पुत्र रूप सिह व प्रति स. 1 बलविन्द्र सिह पुत्र रूप सिह तथा प्रति स. 2 बलजीत कौर पुत्री रूप सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स. 2 बलजीत कौर पुत्री रूप सिह ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी टिक्का सिह व प्रति स. 1 बलविन्द्र सिह के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। अतः चक 12 एस.बी. एन. खाता स. 37 / 22 खाता अजमेर सिह वगैरा ज.स. 2073—76 में प्रति स. 2 के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी व प्रति स. 1 प्राप्त करने का अधिकारी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:57 IST
Reason: SelfAttested

दावेदार है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी व प्रति स. 1 के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादी व प्रति स.1 के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतः चक 12 एस.बी.एन. खाता स. 37/22 खाता अजमेर सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रति स. 2 बलजीत कौर पुत्री रूप सिह के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी व प्रति स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा उक्त खाता से प्रति स. 2 बलजीत कौर पुत्री रूप सिह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी टिक्का सिह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 12 एसबीएन खाता संख्या 37/22 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 प्रदर्श–1 करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 12 एसबीएन के खाता संख्या 37/22 खाता अजमेर सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुका है तथा वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:57 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 बलजीतकौर वादी टिक्का सिह एवं प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिह की सगी बहिन है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 12 एसबीएन के खाता संख्या 37/22 खाता अजमेर सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में 1/9 हिस्सा आराजी प्रतिवादी संख्या 2 बलजीत कौर पुत्री रूपसिह के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादी सख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर अपना समस्त हक/हिस्सा का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बहिब कर दिया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः– प्रतिवादी संख्या 2 बलजीत कौर पुत्री रूपसिह के नाम चक 12 एसबीएन खाता संख्या 37/22 खाता अजमेर सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 सांझा खाता में दर्ज आराजी का वादी टिक्का सिह एवं प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिह को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 बलजीत कौर का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 09 / 2024

टिक्का सिह पुत्र रूप सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तह. संगरिया हाल आबाद मॉडल टाउन अबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)

– **वादी**

बनाम

1. बलविन्द्र सिह पुत्र रूप सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. बलजीत कौर पुत्री रूप सिह जाति जटसिख सा. रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह कलसी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 बलजीत कौर पुत्री रूपसिह के नाम चक 12 एसबीएन खाता संख्या 37 / 22 खाता अजमेर सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 सांझा खाता में दर्ज आराजी का वादी टिक्का सिह एवं प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिह को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 बलजीत कौर का नाम कलमजन किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.02.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:57 IST
Reason: SelfAttested